गन्ना पिराई का कार्य चालू रखने के लिए

*72. **श्री राम जेठमलानी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रचुर मात्रा में गन्ना उपलब्ध होने के कारण जून, 1996 के बाद भी गन्ना पिराई का काम चालू रखने के लिए चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रोत्साहनों के फलस्वरूप देश में चीनी मिलों ने गन्ना पिराई का काम जून के बाद भी जारी रखा था;

(घ) यदि हां, तो किस-किस राज्य में कितने-कितने प्रतिशत मिलें जून, 1996 के बाद भी पिराई का कार्य करती रहीं;

(ङ) क्या सरकार ने यह घोषणा करने से पूर्व गन्ना उपलब्ध होने की मात्रा का पता लगाया था; और

(च) यदि हां, तो अप्रैल और मई के अंत तक राज्य-वार कितनी-कितनी मात्रा में गन्ना पिराई के लिए उपलब्ध होने की संभावना थी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव):

(क) और (ख) ग्रीष्मकाल के गर्म महीनों के दौरान कम वसूली होने के कारण अलाभकारी स्थिति में कार्यचालन के लिए चीनी फैक्टरियों को क्षतिपूर्ति हेतु सरकार ने 60% के सामान्य खुली बिक्री कोटा के स्थान पर 15 अप्रैल से 31 मई, 1996 तक की अवधि के लिए 75% तथा 1 जून से 30 सितम्बर, 1996 तक की अवधि के लिए 100% की दर से उच्चतर खुली बिक्री चीनी कोटा के रूप में प्रोत्साहन देने की अनुमति दी है।

(ग) जी हां, वर्तमान मौसम 1995-96 के दौरान पिराई कार्य को प्रारम्भ करने वाली 412 फैक्टरियों में से 101 फैक्टरियां 1-7-1996 तक भी कार्यरत थीं

(घ) 21-7-1996 तक कार्यरत चीनी मिलों का राज्यवार प्रतिशत विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ङ) और (च) जैसाकि विलम्ब से पिराई के लिए प्रोत्साहन का लाभ उन चीनी फैक्टरियों द्वारा लिया जाएगा जो प्रोत्साहन अवधि के दौरान पिराई करेंगी, अतः गन्ने की मात्रा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता तर्कसंगत नहीं थी। तथापि कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र ने उपर्युक्त अवधि के दौरान गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

विवरण

1.7.1996 तक कार्यरत चीनी मिलों की राज्यवार प्रतिशतता

राज्य	1995-96 मौसम के दौरान कार्यरत चीनी फैक्टरियां	1.7.1996 तक कार्यरत चीनी फैक्टरियां	प्रतिशतता
1. पंजाब	21	3	14.28
2. हरियाणा	12	2	16.67
3. राजस्थान	3	—	NIL
4. उत्तर प्रदेश	116	26	22.41
5. मध्य प्रदेश	8	—	NIL
6. गुजरात	16	—	NIL
7. महाराष्ट्र	106	30	28.30
8. बिहार	19	—	NIL
9. असम	2	—	NIL
10. उड़ीसा	7	—	NIL
11. प० बंगाल	2	—	NIL
12. नागालैंड	1	—	NIL
13. आन्ध्र प्रदेश	33	3	9.09
14. कर्नाटक	29	5	17.24
15. तमिलनाडु	33	31	93.94
16. पांडिचेरी	2	1	50.00
17. केरल	1	—	NIL
18. गोवा	1	—	NIL
कुल	412	101	24.51